संख्या-3 /2023/I/**266766**/001-38-2002-002-8-2022

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य् विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 25 जनवरी, 2023**

विषयः- **दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की मानक मद 01-वेतन से उसी लेखाशीर्षक की कतिपय अन्य मानक मदों में धनराशि के पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-517/1/प्रशि0/बजट आवंटन/(4)/2022-23, दिनांक 06 दिसम्बर 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय, ग्राम्य विकास एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ'' के मानक मद 01-वेतन से कतिपय अन्य मानक मदों में धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय, ग्राम्य विकास एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ'' के मानक मद 01-वेतन से मानक मद-15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू0 5.00 लाख, 49-चिकित्सा व्यय मद में रू0 15.03 लाख तथा 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान हेतु रू0 10.00 लाख अर्थात् कुल रू0 30.03 लाख की धनराशि का पुनर्विनियोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नही देता। धनराशि के आहरण से पूर्व उसके भुगतान की अनुमन्यता/पुष्टि आदि को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(5) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष यथावश्यकता वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2515001020400 (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ)

	अनुदा संख्य	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शी का तालाब, लखनऊ	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र
2	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शी का तालाब लखनऊ	49 चिकित्सा व्यय	15,03,000 (रुपये पंद्रह लाख तीन हजार मात्र)
3	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शी का तालाब लखनऊ	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र
	कुल			30,03,000 (रुपये तीस लाख तीन हजार मात्र)

के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रमेश चन्द्र मिश्र
उपसचि।

संख्या-3 /2023/।/266766 /001-38-2002-002-8-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- श्री हरीराम, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी।
5- निदेशक, वित्तीय/सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
8- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।